04

(7) प्रमाणित नकल आदेश दि० 10.8.18

न्यायालय असि०कले०प्र०श्रे० / उपजिलाधिकारी (सदर), कानपुर नगर।

वाद सं०– T2018034101012345

अन्तर्गत धारा 80 उ0 प्र0 राजस्व संहिता
ग्राम – मेहरबान सिंह का पुरवा
परगना, तहसील– सदर, जिला कानपुर नगर।

राधाकृष्ण मेमोरियल एजूकेशन सेन्टर बनाम उ0प्र0 सरकार

निर्णय

प्रस्तुत वाद राधाकृष्ण मेमोरियल एजूकेशन सेन्टर स्थित 98/4 ब्लाक 10 गोविन्दनगर द्वारा प्रबन्धक पदमकान्त मिश्रा पुत्र स्व0 राधाकृष्ण नि0 98/3 ब्लाक गोविन्दनगर कानपुर नगर के द्वारा उ0प्र0 सरकार को पक्षकार बनाते हुए ग्राम मेहरबान सिंह का पुरवा कानपुर, तहसील सदर कानपुर नगर की खतौनी वर्ष 1422–1427 फ0 की खाता सं0 94 की आ0सं0 1233मि रकवा 0.1540 व 1221मि0 रकवा 0.630 हे0 व खाता सं0 73 की आ0 सं0 1222मि रकवा 0.1020 व 1223मि रकवा 0.2150 कुल चार किता रकवा 1.1010 हे0 मा0गु0 60ख को अकृषिक किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

उक्त प्रार्थनापत्र पर तहसीलदार सदर से स्थलीय जांच आख्या मांगी गयी। तहसीलदार सदर द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 01/08/2018 से स्पष्ट है कि ग्राम मेहरबान सिंह का पुरवा कानपुर, तहसील सदर कानपुर नगर की खतौनी वर्ष 1422–1427 फ0 की खाता सं0 94 की आ0सं0 1233मि रकवा 0.1540 व 1221मि0 रकवा 0.630 हे0 व खाता सं0 73 की आ0 सं0 1222मि रकवा 0.1020 व 1223मि रकवा 0.2150 कुल चार किता रकवा 1.1010 हे0 मा0गु0 60ख, पर राधाकृष्ण मेमोरियल एजूकेशन सेन्टर स्थित 98/4 ब्लाक 10 गोविन्दनगर द्वारा प्रबन्धक पदमकान्त मिश्रा पुत्र स्व0 राधाकृष्ण नि0 98/3 ब्लाक गोविन्दनगर कानपुर नगर का नाम दर्ज राजस्व अभिलेख है। भूमि डिमारकेटेड है एवं आसपास आवासीय गतिविधियां विद्यमान है। उनके द्वारा भूमि कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 1 प्रतिशत जो रू0 80,800/– रू0 होता है, जरिये ट्रेजरी चालान बैंक में जमा कर दिया गया है। आराजी उपरोक्त का जो0च0 आकार पत्र 41 व 45 पत्रावली पर संलग्न है। तहसीलदार सदर द्वारा भूमि को अकृषिक किये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या प्रेषित की गयी है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत तहसीलदार सदर की आख्या दिनांक 01/08/2018 एवं वादी के प्रार्थनापत्र तथा अभिलेखों से स्पष्ट है कि ग्राम मेहरबान सिंह का पुरवा कानपुर, तहसील सदर कानपुर नगर की खतौनी वर्ष 1422–1427 फ0 की खाता सं0 94 की आ0सं0 1233मि रकवा 0.1540 व 1221मि0 रकवा 0.630 हे0 व खाता सं0 73 की आ0 सं0 1222मि रकवा 0.1020 व 1223मि रकवा 0.2150 कुल चार किता रकवा 1.1010 हे0 मा0गु0 60ख पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है। अतएव तहसीलदार सदर की आख्या के आधार पर वादग्रस्त आराजी को अकृषिक घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः तहसीलदार सदर की आख्या दिनांक 01/08/2018 के आधार पर ग्राम मेहरबान सिंह का पुरवा [कान]पुर, तहसील सदर कानपुर नगर की खतौनी वर्ष 1422–1427 फ0 की खाता सं0 94 की आ0सं0 1233मि रकवा 0. [1540] व 1221मि0 रकवा 0.630 हे0 व खाता सं0 73 की आ0 सं0 1222मि रकवा 0.1020 व 1223मि रकवा 0.2150 [कुल चा]र किता रकवा 1.1010 हे0 मा0गु0 60ख, जो राधाकृष्ण मेमोरियल एजूकेशन सेन्टर स्थित 98/4 ब्लाक 10 [गोविन्दनग]र द्वारा प्रबन्धक पदमकान्त मिश्रा पुत्र स्व0 राधाकृष्ण नि0 98/3 ब्लाक गोविन्दनगर कानपुर नगर के नाम [...]ो उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 यथा संशोधित की धारा 80 के तहत अकृषिक घोषित किया जाता है। यदि [...]मे के0डी0ए0 द्वारा पूर्व में किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रस्तावित हो तो यह आदेश के0डी0ए0 के महायोजना के [...] प्रयोजन के अधीन होगा। तहसीलदार की आख्या दिनांक 01/08/2018 आदेश का अभिन्न अंग होगी। [तदनु]सार परवाना अमलदरामद जारी हो। आदेश की एक प्रमाणित प्रति तहसीलदार सदर, सम्बन्धित उपनिबंधक एवं [सचि]व कानपुर विकास प्राधिकरण को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली [अ]भिलेखागार में अभिरक्षित हो।

दिनांक –10/08/2018

असि0कले0प्र0श्रे0 /
उपजिलाधिकारी (सदर)
कानपुर नगर।

उक्त आदेश सतिथि हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में उदघोषित किया गया।

असि0कले0प्र0श्रे0 /
उपजिलाधिकारी (सदर)
कानपुर नगर।

पत्र का क्रम संख्या 496
पत्र देने का दिनांक 10-8-18
पत्र देने वाले का नाम पदमकान्त मिश्रा
तैयारी की दिनांक 10-8-18
देने की दिनांक 10-8-18

नकल नवीस
प्रथम-प्रतिलिपिक
वाचक
प्रतिलिपिकारी, कानपुर नगर